

मुकदमा नम्बर 24/2021

शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़
जिला बीकानेर।

- प्रार्थी -

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़।
3. उदाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी टुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

- अप्रार्थीगण -

उपस्थिति:-

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 के विरुद्ध एकतरफा
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 16.19 हैक्टेयर बरानी वाकेरोही टुकरियासर पटवार हल्का टुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर के.सी.सी. व अन्य ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2017 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 08 फरवरी 2017 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त 6 (1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6 (1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने सही रूप से नामान्तरण संख्या 829 दिनांक 08.02.2017 को दर्ज रजिस्टर कर तहसील कार्यालय में पेश किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को भिजवाई गई। उक्त 6 (1) के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को के.सी.सी. व अन्य कृषि ऋण प्रदान कर दिया गया। कुछ समय बाद प्रार्थी बैंक द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 के खसरे की सर्च की गई तो पता चला कि उक्त खसरे को राजस्व अमला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम गलत रूप से रहन दर्ज कर दिया गया है। उक्त नामान्तरण सं. 829 के द्वारा बिलकुल ही गलत रूप से खसरा नम्बर 60 रोही टुकरियासर में अप्रार्थी संख्या 2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के यहां कोई ऋण आवेदन नहीं किया था। उक्त खसरा भूमि का नामान्तरण सही रूप से प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के नाम दर्ज होना चाहिए था।



Wing
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कि आपकी संस्था तभी भी चला कि आपने गिरी बैंक संस्था में जमान का
 कि आपका नाम व आपकी नाम प्रदान किया गया है परन्तु आपकी खेत का रहन
 प्रदाता बैंक शाखा के नाम तभी तक दर्ज नहीं की पाया है व उक्त
 प्रदाता बैंक शाखा के नाम दर्ज हो गया, आप इसे प्रकृत करवाता तो अप्राथी संख्या 3 ने
 कि (1) आपने भरकर दिया था और गिरी तहसील कार्यालय में पेश कर
 कि प्रकृत कर प्रदाता बैंक के नाम दर्ज हुआ शत मुझे पता नहीं है व
 कि कोई भलती है, आप जानें व आपका काम जाने। प्रार्थी बैंक को उक्त
 प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 को प्रस्तुत कर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय
 बैंक शाखा श्रीखुंगरगढ़ के स्थान पर प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय
 बैंक शाखा पंचायत समिति, श्रीखुंगरगढ़ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व ऑन
 लाइन शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो अप्राथी 1 ने प्रार्थी बैंक को
 कि जिस प्रकार से यह भलती हुई है उसके लिए आपको शायद न्यायालय से
 लेकर आना होगा, बिना न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण
 करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्राथी 1 ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर
 कि अप्राथी संख्या 1 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही
 कर से इन्कार दर्ज नहीं होने से प्रार्थी बैंक को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है व
 प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी के खेत का रहन का इन्तकाल गलत रूप से अप्राथी
 संख्या 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि अप्राथी संख्या 3 ने अप्राथी संख्या 2
 के यहां ना तो त्रहण आवेदन किया है ना ही अप्राथी संख्या 2 द्वारा कोई 6 (1) ही
 दाख किया है। जमाबन्दी व धारा 6 (1) के अधीन की घोषणा एवं प्रार्थी बैंक द्वारा
 शुद्धिकरण करने के निवेदन का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 की प्रतियां प्रस्तुत
 कि वगैरह स्वसरा नम्बर भूमि ग्राम तुकरियासर तहसील श्रीखुंगरगढ़ जिला बीकानेर में
 स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण
 अग्रवाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:-

खेत स्वसरा नम्बर 60 तादादी 16.19 हैक्टयर वाकेरोही तुकरियासर तहसील
 श्रीखुंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्राथी सं. 3 की भूमि पर
 अप्राथी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीखुंगरगढ़) के नाम
 दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक (बड़ौदा राजस्थान
 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीखुंगरगढ़) के नाम रहन का इन्तकाल
 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का
 आदेश अप्राथी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्राथी संख्या 1 से
 करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये
 नोटिस दलद किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 बावजूद नोटिस तामिल
 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।



[Handwritten signature]
 सरपंच आधिकारी
 [Location/Office Name]